



From Chai Under Neem Trees To A Carnival...

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Rashtradoot

Metro

One of the most unforgettable moments came in 2012, when Oprah Winfrey graced the stage. Her electrifying presence turned the festival grounds into a carnival

The Remarkable Emptiness of Existence

The space between the planets had to be filled with nothing, otherwise, friction would slow the planets down

20 फरवरी को “डैडलाइन” से पहले बच्चे को अमेरिका में जन्म देने के लिये दौड़ लगी

इस दौड़ में सबसे ज्यादा संख्या भारतीय गर्भवती महिलाओं की है

—डॉ. सतीश मिश्रा-

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 23 जनवरी। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के जन्म आधारित नागरिक अधिकार खम्ब दोनों के कार्यकारी आदेश के बाद, अमेरिका के दैप्तियों, जो माता-पिता बनने वाले हैं, जैसे 20 फरवरी से पहले सींसैक्सन से बच्चे को जन्म देने की होड़ लग गई है। ट्रम्प ने 20 फरवरी की डैडलाइन दी है जन्म आधारित नागरिक के अधिकार को समाप्त करने के लिए।

इन मामलों में से अधिकांश भारत के हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह चलन दृष्टिकोण पर्याप्त देशों के अलावा अन्य देशों में भी है, क्योंकि होके व्यक्ति मामूली सींसैक्सन होने पर इस अवसर का लाभ उठाना चाहता है।

ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को होगा, क्योंकि जो महिलाएं सींसैक्सन का विकल्प चुन रही हैं, वे गर्भवती स्थिति में आदेश या नवें में हैं। गर्भवतीया की अवधि पूरी होने में कुछ ही समय बचता है, पर इससे बच्चे को खतरा हो सकता है।

न्यूजीलैंड की मैटरिनीटी क्लीनिक में कार्यरत डॉ. एस.डी. रामाराव ने कहा कि

- ये महिलाएं, जिन्हें गर्भ धारण किये आठ या नौ महीने ही हुए हैं, “डैडलाइन” से पहले बच्चे को अमेरिका में जन्म देने के लिये, अमेरिका में डॉक्टरों पर “सिजेरियन” प्रक्रिया से बच्चे को जन्म देने के लिए दबाव डाल रही हैं। हालांकि, डॉक्टर उन्हें बार-बार सलाह दे रहे हैं कि इस प्रक्रिया से बच्चे की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
- समय से पूर्व जन्मे ऐसे बच्चों में फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते। इन बच्चों को माँ का स्तनपान करने में भी कठिनाई होती है। इन बच्चों का जन्म के समय वजन भी बहुत कम होता है तथा कुछ बच्चों में “न्यूरोतोजिकल प्रबलम्स” भी विकसित हो जाती हैं।
- ट्रम्प द्वारा निर्धारित डैडलाइन का उन लाखों भारतीयों पर असर पड़ेगा, जो अमेरिका में अस्थायी वीजा प्राप्त करके रह रहे हैं।
- क्योंकि, अमेरिका में “ग्रीन कार्ड” प्राप्त करने में बहुत समय लगता है, उन भारतीय दृष्टियों के लिए यह एक “सेफ्टी नेट” है, जो अमेरिका में काम कर रहे हैं और उनकी पत्नियां गर्भवती हैं।

उनसे समय से पूर्व डिलीवरी करने के महिला का मार्च में बच्चा होना है, वह तात्पुरता के लिए कई लोगों ने आग्रह किया है। एक सात माह की गर्भवती है, पर अपने पति

के साथ समय से पहले डिलीवरी के लिए आई थी।

अस्थाई रूप से अमेरिका में रह रहे लोगों में जन्म आधारित नागरिकों के अधिकार के लिए डैडलाइन 20 फरवरी से पहले बच्चों को जन्म देने की होड़ लगी है, ताकि बच्चों को अमेरिका की नागरिकता मिल जाए।

जन्म के आधार पर स्वतः नागरिकता मिल जाने के अधिकार को खत्म करना इमिशेन नीति में बड़ा बदलाव है तथा इसके अधिकारों में अस्थायी वीसा पर रह रहे लोगों भारतीय प्रभावित होंगे।

जन्म आधारित नागरिकता एक कानूनी स्थिति है, जो अमेरिका में जन्म लेने वाले हर बच्चे को अमेरिका का नागरिक बनने का अधिकार देता है, भले ही उसके माता-पिता किसी भी देश के हों और उनकी इमिशेन रिस्ट्रिक्शन चाहे जो हो।

डॉ. एस.जी. मुकुलाला ने लोगों की समय पूर्व प्रसव के संबंध में चेतावनी दी और कहा कि ऐसे बच्चों के फेफड़े विकसित नहीं हो पाते हैं, तब्बे फैटिंग में अधिकार निखिल सेने ने कहा कि राज्य सरकार ने रामतुभाया कमेटी की सिफारिसों और तय मापदंडों के आधार पर नीम का थाना स्थित, अन्य जिलों (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नीमकाथना व

गंगापुर

सिटी

जिला

समाप्ति

मामले

की

सुनवाई

28

जनवरी

को

साथ

28

जनवरी

को